संख्या-39/2026-001/193डब्लू-26-27-3005-002-6-2026

प्रेषक,

शीतला प्रसाद

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2026

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-35494/2026 राकेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-418/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/यमुना, दिनांक 09.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद से संबंधित रिट याचिका संख्या-35494/2026 राकेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2026 के अनुपालन में धनराशि रूपये 28,57,360.00 (अठ्ठाइस लाख सत्तावन हजार तीन सौ साठ मात्र) का भुगतान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: रिट याचिका संख्या-35494/2026 राकेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2026 के अनुपालन में धनराशि रूपये 28,57,360.00 (अठ्ठाइस लाख सत्तावन हजार तीन सौ साठ मात्र) के भुगतान के संबंध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने से पूर्व एक बार पुन: भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों एवं गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान वास्तविक भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 28,57,360.00 (अठ्ठाइस लाख सत्तावन हजार तीन सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-06-050-10-16-24 पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
शीतला प्रसाद
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।

(6) मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।

(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
शीतला प्रसाद
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।